भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1203
उत्तर देने की तारीख 28जुलाई, 2025
6 श्रावण, 1947 (शक)

ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2036 के लिए रूपरेखा

1203. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2028 में अमेरिका के लॉस एंजिल्स और वर्ष 2032 में आस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित होने वाले आगामी दो ओलम्पिक कार्यक्रमों/प्रस्तावित खेलों में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कोई नई योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विशेष योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी ओलम्पिक खेलों के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ग) क्या भारत ने वर्ष 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने में रुचि व्यक्त की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए टीमों और खिलाड़ियों की तैयारी हेतु सर्वोत्तम सुविधाएँ, प्रशिक्षण, उपकरण सहायता और आवश्यक पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए निकट समन्वय से कार्य करते हैं।

भारतीय खिलाड़ियों/टीमों को अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की तैयारी के लिए सरकार द्वारा दो मुख्य स्कीमों - एनएसएफ को सहायता स्कीम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है ।

एनएसएफ को सहायता स्कीम के तहत, मान्यता प्राप्त एनएसएफ को एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भागीदारी,

राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन, विदेशी कोचों/सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता आदि के लिए सभी आवश्यक सहायता शामिल है।

पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद, एक नया ओलंपिक दौर शुरू हो गया है, जिससे बदलती परिस्थितियों के मद्देनज़र मानदंडों की समीक्षा आवश्यक हो गई है। मानदंडों में संशोधन करते समय, मंत्रालय ने प्रशिक्षण, अवसंरचना के विकास, उपकरणों की खरीद और एथलीट कल्याण कार्यक्रमों से जुड़े खर्चों में मुद्रास्फीति के कारण बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखा है। भारतीय एथलीटों/टीमों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिए कई घटकों हेतु सहायता में वृद्धि के अलावा जमीनी स्तर पर विकास और क्षमता निर्माण पर ज़ोर देते हुए कुछ नए उपाय भी शुरू किए गए हैं। स्कीम के अंतर्गत मानदंडों में प्रमुख संशोधन निम्नानुसार हैं:

- एनएसएफ को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनके वार्षिक बजट का कम से कम 20% उनकी संबद्ध इकाइयों के माध्यम से जमीनी स्तर के विकास के लिए निर्धारित किया जाए।
- स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए वित्तपोषण का कम से कम 10% कोचों और तकनीकी कर्मचारियों के विकास के लिए आवंटित किया जाएगा।
- सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित एक कोचिंग शिक्षा विशेषज्ञ की नियुक्ति भी करनी होगी। विदेशी विशेषज्ञों को गैर-प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्थानीय अधिकारियों और कोचों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण का कार्य भी सौंपा जाएगा।
- 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के वार्षिक बजट वाले एनएसएफ को अनिवार्य रूप से एक उच्च प्रदर्शन निदेशक (एचपीडी) नियुक्त करना होगा, जो खेल के समग्र तकनीकी विकास कार्यक्रम को डिजाइन करने और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- प्रत्येक संभावित ग्रुप एथलीट को गैर-शिविर दिनों के लिए ₹10,000 प्रति माह का आहार भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- मुख्य राष्ट्रीय कोच का वेतन 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है, अन्य कोचों के लिए इसे 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
- वरिष्ठ एथलीटों के लिए आहार शुल्क ₹690 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति एथलीट प्रतिदिन कर दिया गया है तथा जूनियर एथलीटों के लिए ₹480 से बढ़ाकर ₹850 प्रति एथलीट प्रतिदिन कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता को उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए 90 लाख रुपये और प्राथमिकता वाले खेलों के लिए 75 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

- देश में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं की मेजबानी के लिए वित्तीय सहायता को दोगुना करके 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

साथ ही, टीओपीएस के अंतर्गत, सरकार ओलंपिक खेलों और पैरालंपिक खेलों के लिए चुने गए संभावित एथलीटों को विदेशी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उपकरण और कोचिंग शिविर सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती है, साथ ही उसे 50,000 रुपये का मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीएस) भी दिया जाता है। वर्तमान में, इस स्कीम के अंतर्गत 174 व्यक्तिगत एथलीटों और 2 हॉकी टीमों (पुरुष और महिला) को एक कोर ग्रुप के रूप में चुना गया है । इसके अलावा, विकास समूह के अंतर्गत, भारत की ओलंपिक तैयारी में एक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए 134 सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाओं की पहचान (एलए ओलंपिक आदि के लिए) पूरी हो चुकी है। टीओपीएस विकास समूह के अंतर्गत एथलीटों को 25,000 रुपये प्रति माह का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता प्रदान किया जाता है।

साथ ही, सरकार ने समग्र खेल पारिस्थितिकी तंत्र में खेल विज्ञान को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर) की भी स्थापना की है।

(ग) भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाना भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की ज़िम्मेदारी है और ओलंपिक के लिए मेजबानी के अधिकारों का आवंटन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा एक विस्तृत मेजबान चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। मेजबान चयन प्रक्रिया आईओसी की वेबसाइट https://www.olympics.com/ioc/becoming-an-olympic-games-host/the-process-to-elect-olympic-hosts पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है । आईओए ने आईओसी को एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है। यह बोली अब आईओसी के भावी मेजबान आयोग के साथ "निरंतर वार्ता" चरण में है।

*****